



प्रेस नोट थाना सचेण्डी कानपुर आउटर

दिनांक: सितम्बर 23, 2022



कार्यवाही :-

माननीय न्यायालय ए0सी0एम0एम0-03 कानपुर नगर द्वारा थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2019 धारा 380/411 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र जवाहर लाल निवासी ग्राम रामसिंह का पुरवा थाना सचेण्डी कानपुर नगर को 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया था। दोषसिद्ध बन्दी धर्मेन्द्र उपरोक्त सन्दर्भित अभियोग में जिला कारागार कानपुर नगर में निरूद्ध था जिसको कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश सं0-1808जेएल(1)/22-03-2021-800(30)/2020 दिनांक: 21.09.2020 एवं शासनादेश सं0-2090जेएल/22-03-2021-800(30)/2020 दिनांक: 02.12.2021 के अनुपालन में जिला कारागार कानपुर नगर से दिनांक: 22.09.2020 को विशेष पैरोल पर रिहा किया गया था लेकिन पैरोल की अवधि दिनांक: 09.03.2022 को समाप्त होने के पश्चात दोषसिद्ध बन्दी धर्मेन्द्र द्वारा जिला कारागार कानपुर नगर में आत्म समर्पण नहीं किया गया और निरन्तर फरार चल रहा था जिसको आज दिनांक 23.09.2022 को थाना सचेण्डी कानपुर आउटर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए जिला कारागार कानपुर नगर में दाखिल कराया गया है।

➤ नाम पता पैरोल पर रिहा दोषसिद्ध बन्दी :-

1. धर्मेन्द्र पुत्र जवाहर लाल निवासी रामसिंह का पुरवा थाना सचेण्डी कानपुर नगर।

➤ आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 89/2019 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी कानपुर नगर।

➤ गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

1. उ0नि0श्री अशोक कुमार चौकी प्रभारी भीमसेन थाना सचेण्डी कानपुर आउटर।

2. हे0का0 193 गजेन्द्र सिंह थाना सचेण्डी कानपुर आउटर।

**थाना सचेण्डी,
कानपुर आउटर पुलिस,**